न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
86 / 2025	18 / 06 / 2025	25 / 06 / 2025

दिपीका सिंह पुत्री श्री अनार सिंह पत्नि श्री यशवन्त सिंह जाति राव नि० मियाना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल मुकाम रंगबाडी राजपूत कोलोनी कोटा जिला कोटा राज०

वादीया

बनाम

1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनार सिंह जाति राव निवासी मियाना हाल निवासी इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

2 हेमराज सिंह पुत्र श्री अनार सिंह जाति राव निवासी मियाना हाल निवासी बारां जिला बारां राज०

3 विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनार सिंह जाति राव निवासी मियाना हाल निवासी मांगरोल तह० मांगरोल जिला बारां राज०

4 राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक 25.06.25

सक्षेप में विवरण इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम मियाना पटवार हल्का मियाना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में वांदीया व प्रतिवादी कम 1 ता 3 के कब्जे काश्त एवं सयुंक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिस पर वादीया व प्रतिवादी कम 1 ता 3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है और वर्तमान में भी वादीया व प्रतिवादी कम 1 ता 3 मौके पर काबिज काश्त है। यह कि वादीया का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, स्कुल अंकतालिका, बैंक डायरी आदि में दिपीका सिंह दर्ज है। जो कि सही है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीया का नाम दिपीका कंवर है। उक्त त्रुटि से वादीया को सरकारी सहायता. मुआवजा, सहकारी ऋण आदि से वंचित होना पड रहा है। इसलिए वादीया राजस्व रिकॉर्ड में दिपीका कवर के स्थान पर दिपीका सिंह करवाने की अधिकारिणी है तथा वादीनी व प्रतिवादी कम 1 ता 3 के नाम व सिंह के बीच गैप करवाने के अधिकारी है। यह कि वादीया ने नाम में दुरस्ती के लिए श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा से दिनांक 30.05.2025 को निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। यह कि प्रतिवादी कम 1 ता 3 जिनके विरूद्ध वाद पत्र में कोर्ट रिलीफ नहीं चाही गई है। यह कि वाद कारण दिनांक 30.05.2025 को श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा द्वारा वाद पत्र पेश करने की हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ है। यह कि प्रतिवादी कम 4 राज्य सरकार के प्रतिनिधी व लेण्ड होल्डर हैं जिनको वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद लाने हेतु 80 सीपीसी का 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हैं, इसलिए 80 (2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। यह कि वाके ग्राम मियाना पटवार हल्का मियाना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित आराजी खसरा नं. 297. रकबा 0.88 है०

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी इटावा

कृषि भूमि में वादीया का नाम दिपीका कवंर पुत्री श्री अनार सिंह के स्थान पर दिपीका सिंह पुत्री श्री अनार सिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

वादीया की ओर से वाद पत्र श्री गिरिराज कुशवाहा एडवोकेट ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 3 की ओर से श्री हेमन्त राठौर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, इकबाली जवाब पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। वादीया के अधिवक्ता व प्रतिवादी कम 1 ता 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड फोटो पहचान पत्र, स्कुल अंकतालिका, बैंक डायरी में वादीया का नाम दिपीका सिंह दर्ज है। अतः वादीया का नाम दिपीका कंवर पुत्री अनार सिंह के स्थान पर दिपीका सिंह पुत्री अनार सिंह करना उचित होगा।

अतः प्रतिवादी कम 4 को आदेश दिया जाता हैं कि वाके ग्राम मियाना पटवार हल्का मियाना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित आराजी खसरा नं. 297 रकबा 0. 88 है० कृषि भूमि में वादीया का नाम दिपीका कवर पुत्री अनारसिंह के स्थान पर दिपीका सिंह पुत्री अनार सिंह राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनानुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.6.25 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
40 / 2025	02 / 04 / 2025	25 / 06 / 2025

दिपीका सिंह पुत्री श्री अनार सिंह पत्नि श्री यशवन्त सिंह जाति राव नि० मियाना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल मुकाम रंगबाडी राजपूत कोलोनी कोटा जिला कोटा राज०

वादीया

बनाम

1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनार सिंह जाति राव निवासी मियाना हाल निवासी इटावा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

2 हेमराज सिंह पुत्र श्री अनार सिंह जाति राव निवासी मियाना हाल निवासी बारां जिला बारां राज०

3 विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनार सिंह जाति राव निवासी मियाना हाल निवासी मांगरोल तह० मांगरोल जिला बारां राज०

4 राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक 25.6.25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम मियाना पटवार हल्का मियाना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित आराजी खसरा नं. 297 रकबा 0.88 है० कृषि भूमि में वादीया का नाम दिपीका कवर पुत्री अनारसिंह के स्थान पर दिपीका सिंह पुत्री अनार सिंह राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 25.6.25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा